न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 355 / 22

प्रार्थी :–

नारायण पुत्र कालू, जाति भील, निवासी ग्राम मंडापुरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर, राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थी :– जिला ओद्योगिक अधिकारी, बालोतरा, खेड रोड,बालोतरा तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री करणसिंह वकील प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी :– अनुपस्थित

आदेश__ दिनांक :–23.5.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है , कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367 क्षेत्रफल 1.7705 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खेत व सडक के मध्य विप्रार्थी का भूमि खसरा संख्या 1164 / 359 क्षेत्रफल 3.4145 हैक्टेयर भूमि आई हुए है ।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पडता है । लेकिन रेकर्ड मे कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अतः प्रार्थी ने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367 क्षेत्रफल 1.7705 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा, भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप मे प्रयुक्त हो रही भूमि नक्शा परिशिष्ट "अ" मे दर्शाये मार्क ए

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से ही एक डरंग लाल के रास्ता चौडा 30 फीट का राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ट नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। विप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने उद्योग विभाग के खसरा न. 1184 359 मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा मे से 30 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है । मंडापुरा मे खातेदारी की उक्त भूमि मूल्यवान सरकारी भूमि है .उक्त भूमि पर अति निकट भविष्य में इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना करने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2023 – 24 मे है अतः यहा से रास्ता देना उचित नही होगा ,साथ ही इस भूमि के आवटन हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है।

हमने पत्रावली व प्रत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया ,बाद गौर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राज्य हित मे सरकारी विभाग हेतु प्रस्तावित होने के कारण स्वीकार नही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी अलग से अन्य स्थान से रास्ता मांगने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा